संख्या- 47/2021/1345/33-3-2021-100(16)/2018

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2021**

विषय- जिला पंचायतों में कांजी हाउसों के संचालन हेतु धनराशि रू. 283.204 लाख अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4323/33-सेल/2021 दिनांक 20.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-22-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण/स्थापना एवं संचालन के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित कुल धनराशि रू. 500.00 लाख में से कांजी हाउसों के संचालन हेतु सम्बन्धित जिला पंचायतों को रू. 283.204 लाख (रू. दो करोड़ तिरासी लाख बीस हजार चार सौ मात्र) को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	जिला पंचायत का नाम	गोवंश संरक्षण/निराश्रित पशु संरक्षण हेतु धनराशि		
		चारा-भूसा (लाख रू. में)	श्रमिक/चौकीदार एवं अवस्थापना (लाख रू. में)	कुल धनराशि (लाख रू. में)
1	गाजीपुर	1.750	0.740	2.490
2	बहराइच	45.000	25.000	70.000
3	बरेली	4.104	0.000	4.104
4	जौनपुर	11.100	1.200	12.300
5	सोनभद्र	30.000	5.000	35.000
6	मथुरा	75.600	46.800	122.400
7	महराजगज	10.000	4.000	14.000
8	कुशीनगर	8.000	7.000	15.000
9	बिजनौर	6.110	1.800	7.910
कुल योग		**191.664**	**91.540**	**283.204**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2021-22 की अवधि में जिला पंचायतों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 मे उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित ई-पेंमेंट के द्वारा सीधे संबंधित जिला पंचायत के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(4) संबंधित जिला पंचायत द्वारा इस धनराशि को जिला पंचायत निधि में जमा कराकर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक व्यय किया जायेगा। संबंधित जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। कांजी हाउस निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही जिला पंचायत को धनराशि अवमुक्त की जाय एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-22-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण/स्थापना एवं संचालन के मानक मद-42-अन्य व्यय में रू. 500.00 लाख में रू. 283.204 लाख के नामे डाला जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कांजी हाउसों हेतु निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

(9) पूर्व में निर्मित कांजी हाउसों की मरम्मत तथा नये कांजी हाउसों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग के अद्यतन एस0ओ0आर0 के आधार पर आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।

(10) कांजी हाउसों के संचालन/निर्माण हेतु जो कार्य प्रश्नगत योजना की प्रावधानित धनराशि से कराये जायेंगें, उन कार्यों हेतु अन्य किसी योजना से शासकीय धनराशि प्राप्त नहीं की जायेगी।

(11) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानित अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निर्माण एवं व्यय के दौरान संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) कांजी हाउसों के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रावधानित व्यवस्था के आलोक में क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u> **भवदीय,**

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।